न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी अश्विन के पंवार(आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 61 / 2022

अपीलान्टः–

दीपक सेठिया पुत्र धनपतराज सेठिया उम्र 49 वर्ष जाति जैन निवासी 76, श्याम नगर, पाल लिंक रोड़ जोधपुर जिला जोधपुर(राज0)

रेस्पोडेन्टसः–

1. श्रीमती ललीता देवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
2. राहुल पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदती वली माता श्रीमती ललितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
3. करिश्मा पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदती वली माता श्रीमती ललितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
4. सरिता पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदती वली माता श्रीमती ललितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
5. श्रीमती अनितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
6. रोहिणी पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदती वली माता श्रीमती अनितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
7. यशवस्वी स्व0 श्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदती वली माता श्रीमती अनितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
8. लक्ष स्व0 श्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदती वली माता श्रीमती अनितादेवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी मालियों का वास अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बालोतरा
9. श्रीमती बसन्तीदेवी पत्नी शान्तिलाल जाति माली निवासी मालियों का वास बालोतरा जिला बालोतरा
10. श्रीमती ढेपोदेवी पत्नी कमलेश कुमार जाति माली निवासी मालियों का वास बालोतरा जिला बालोतरा
11. धनराज पुत्र पेमाराम जाति घांची निवासी घांचियों का वास बालोतरा जिला बालोतरा
12. भंवरलाल पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी भाखरी खेडा तहसील कल्याणपुर
13. भीकमचंद मोतीलाल एचयूएफ के कर्ता भीकमचंद पुत्र मोतीलाल जाति मेवाड़ा निवासी बालोतरा जिला बालोतरा
14. श्यामलाल विपुल कुमार एचयूएफ के कर्ता श्यामलाल पुत्र विपुल कुमार जाति मेवाड़ा निवासी बालोतरा जिला बालोतरा
15. विक्रम कुमार पुत्र सोहनलाल जाति प्रजापत निवासी रामसीन तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
16. उप तहसीलदार, जसोल
17. तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2586 दिनांक 17.12.2021 तथा नामान्तरकरण संख्या 2591 दिनांक 27.12.2021 को उप तहसीलदार, जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी वकील अपीलान्ट
2. श्री सुरेश पुनड वकील उत्तरदाता सं. 01 से 08 व 15
3. श्री भूपेन्द्र गहलोत वकील उत्तरदाता सं. 09

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

Ashwin

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

बालोतरा

निर्णय

दिनांक 06/09/2023

अपीलान्ट की अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 924/288 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा भूमि इन्द्रादेवी पत्नी हनुमानराम कौम प्रजापत साकिन बालोतरा की सम्पूर्ण खातेदारी की थी जिसमें से इन्द्रादेवी ने दिनांक 13.06.2014 को उक्त खातेदारी भूमि में से 03 बीघा 13 विस्वा भूमि ओमप्रकाश पुत्र खीमराजजी जाति माली साकिन बालोतरा को जरिये रजिस्ट्री के कर दी, जिस पर इन्द्रा देवी का हिस्सा 100/193 शेष रहा, इन्द्रा देवी ने अपने उक्त हिस्से में से 60/193 का बैचान रेस्पोडेन्टस संख्या 12 भंवरलाल को कर दिया, तथा उक्त हिस्से में से 40/193 का बैचान रेस्पोडेन्टस संख्या 13 व 14 को बेचान कर दिया। खेत खसरा नम्बर 924/288 रकबा 09 बीघा 13 विस्वा भूमि में से 63/193 हिस्सा अर्थात 3 बीघा 13 विस्वा भूमि ओमप्रकाश पुत्र खीमराजजी जाति माली साकिन बालोतरा की खातेदारी की है। उक्त भूमि के संबंध में ओमप्रकाश पुत्र खीमराजजी जाति माली ने अपने जीवनकाल में अपने मित्र दीपक सेठिया पुत्र श्री धनपतराजजी सेठिया जाति जैन निवासी जोधपुर वालों के पक्ष में दिनांक 12.06.2016 को पूर्ण होशों हवास में अपना भला बुरा सोचन समझने व तन्दुरूस्त हालत में वसीयत निष्पादित करके अपने भाई अशोक कुमार पुत्र खीमराजजी माली निवासी बालोतरा एवं मित्र नरपतराम पुत्र जसवंतराज जी मेहता निवासी जोधपुर की साखें डलवाकर नोटरी पब्लिक श्री बाबूलालजी सांखला से वसीयत का प्रमाणीकरण करवाकर अपीलांट को सुपुर्द की थी। ओमप्रकाश पुत्र खीमराजजी जाति मालीनिवासी बालोतरा का देहान्त दिनांक 20.08.2020 को बालोतरा में हो चुका है। उक्त वसीयत स्वर्गीय ओमप्रकाश की अंतिम वसीयत है।वसीयत की प्रमाणित प्रति एवं फौतगी का प्रमाण पत्र साथ में पेश है। स्वर्गीय ओमप्रकाश ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के हक में दिनांक 12.06.2016 को वसीयत निष्पादित करने से उक्त खातेदारी भूमि में वसीयती उत्तराधिकारी होने से नामान्तरण खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उत्तरदातागण संख्या 1 व 5 ने गुपचुप ढंग से हल्का पटवारी से मिलावट कर अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत के निष्पादन की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 5 ने अपने नाबालिग पुत्र पुत्रियों रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 व 6 से 8 के पक्ष में फौतगी का नामान्तरकरण हल्का पटवारी से खुलवाकर उप तहसीलदार जसोल के आदेश दिनांक 17.12.2021 से अवैध रूप से स्वीकृत करवा दिया, जिससे अपीलान्ट आहत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 ने अपीलान्ट को क्षति पहुचाने की नियत से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि सम्पूर्ण का कपटपूर्वक बैचान रेस्पोडेन्ट संख्य 15 के पक्ष में कर दिया गया जिसका नामान्तरकरण दिनांक 27.12.2021 को उप तहसीलदार जसोल के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। नामा0 संख्या 2586की नकल दिनांक 28.12.2021 एवं नामा0 संख्या 2591की नकल दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त हुई। अपील अन्दर म्याद पेश की गई।

उक्त आलौच्य दोनों नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उप तहसीलदार जसोल द्वारा स्वर्गीय ओमप्रकाश के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के हक में निष्पादित वैध वसीयतनामा के संबंध में कोई जांच नहीं की, न ही वसीयत के प्रमाणकरण के साक्ष्यों के बयान लिये गये, न ही नोटेरी पब्लिक के बयान लिये गये, न ही उक्त दोनों नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई अवसर दिया गया। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 के हक में पारित नामान्तरकरण व रेस्पोडेन्ट सं. 15 के पक्ष में पारित नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध, शुन्य एवं काबिली मंसुखी के है। उक्त दोनों नामान्तरकरण अपीलान्ट को सुने बिना उपतसीलदार जसोल द्वारा स्वीकृत किये गये।जो प्राकृतिक न्यायके पवित्र सिद्वान्त को अनदेखा कर उप तहसीलदार जसोल ने सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की घोर अवहेलना की है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 के हक में पारित नामान्तरकरण व रेस्पोडेन्ट सं. 15 के पक्ष में पारित नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध, होने से मंसुख करने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2586 आदेश दिनांक 17.12.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 2591 आदेश दिनांक 27.12.2021को पारित आदेश को निरस्त कर स्वर्गीय ओमप्रकाश के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के हक में निष्पादित वैध वसीयतनामा की रूह से अपीलान्ट स्वर्गीय ओमप्रकाश का एकमात्र वैध वसीयत उतराधिकारी होने से नामान्तरकरण पुनः नये सिरे से अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

अपीलान्ट की अपील को दर्ज कर उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये। जो बाद तामील प्राप्त हुए शामिल मिसल है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया, बहस के दौरान अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता अपील के तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2586 आदेश दिनांक 17.12.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 2591 आदेश दिनांक 27.12.2021को पारित आदेश को निरस्त कर स्वर्गीय ओमप्रकाश के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के हक में निष्पादित वैध वसीयतनामा की रूह से अपीलान्ट स्वर्गीय ओमप्रकाश का एकमात्र वैध वसीयत उतराधिकारी होने से नामान्तरकरण पुनः नये सिरे से अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

इसके विपरीत के विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 1 से 8 व 15 की ओर से निवेदन किया गया कि वसीयत दिनांक 12.06.2016 को यदि निष्पादित की गई थी, स्वर्गीय ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 20.08.2020 को होने के बाद अपीलान्ट के द्वारा अपने पक्ष में वसीयत नामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, अपीलान्ट के द्वारा वसीयत नामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया है, लेकिन आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अपीलान्ट न्यायिक रूप से सही थे, तो वे सही समय पर उपस्थित हो सकते थे। वसीयतनामा के अलावा अपीलान्ट के द्वारा बैचान ईकारनामा एवं आम मुख्त्यारनामा भी कुटरचित निष्पादित किये गये जो संद्विग्ध है। अपीलाधीन भूमि क अपीलान्ट के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उत्तरदातागण को केवल परेशान करने की नियत से ही अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का हमनें अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि स्वर्गीय ओमप्रकाश के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के हक में वसीयत दिनांक 12.06.2016 को यदि निष्पादित की गई थी, उसके उपरान्त स्वर्गीय ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 20.08.2020 को होने के बाद भी अपीलान्ट के द्वारा अपने पक्ष में वसीयत नामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, अपीलान्ट के द्वारा वसीयत नामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया है, लेकिन अपीलान्ट के द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। वसीयतनामा के साथ साथ अपीलान्ट के द्वारा बैचान ईकारनामा एवं आम मुख्त्यारनामा भी निष्पादित किये गये है, इस प्रकार जब अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित किया गया तो इन अलग–अलग दस्तावेजों को निष्पादित किये जाने का अपीलान्ट के द्वारा कोई औचित्य प्रकट नहीं किया गया है, इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपंजीकृत होने से एक ही दिनांक को निष्पादित किये जाने से जिनकी प्रथम द्रष्टतया सत्यतता संद्विग्ध प्रतीत होती है। स्वर्गीय ओम प्रकाश के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण उप तहसीलदार, जसोल द्वारा स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार, जसोल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेपकिया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन होने अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

Ash
(अश्विन के. पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा